भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3195
22 मार्च, 2022 को उत्तर देने के लिए

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना और प्रधान मंत्री ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

3195. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किसानों और ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधान मंत्री ग्राम समृद्धि योजना और प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) किस तिथि को शुरू की गई थी और उक्त योजनाओं में चयन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के लाभार्थियों के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत प्रारम्भ से दिसंबर, 2021 तक लाभान्वित होने वाले देश के राज्यों के नाम क्या हैं और पात्र किसानों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में उक्त योजना के तहत लाभान्वित किसानों और ग्रामीणों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए संख्यात्मक आंकड़ें क्या हैं और इस संबंध में संवितरित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना सम्पदा, जिसे बाद में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) नाम दिया गया, को 03.05.2017 को अनुमोदित किया गया था, जबकि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (जिसकी प्रारंभिक स्तर पर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में परिकल्पना की गई थी) का अनुमोदन 20 मई, 2020 को किया गया था। इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्तावों का चयन पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार समर्पित पोर्टल और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। चयन प्रक्रिया में कई स्तरों पर मूल्यांकन और जांच शामिल होती है। प्रस्तावों के चयन के लिए मानदंड का विवरण संबंधित योजना दिशानिर्देशों में दिया जाता है, जो मंत्रालय की वेबसाइट (mofpi.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): केंद्रीय क्षेत्र और मांग आधारित योजना होने के कारण, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत कोई राज्य अथवा जिला-वार आवंटन नहीं किया जाता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत देश भर में पूरी की गई योजनाओं से लाभान्वित किसानों की वर्ष-वार अनुमानित संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है। लगभग 2.055 लाख किसानों को अनुमानित लाभ के साथ कुल 38 अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाएं राजस्थान राज्य में अवस्थित है।

(ङ): इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध- 2** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-1

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना और प्रधान मंत्री ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान के बारे में दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3195 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

पीएमकेएसवाई योजना की घटक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित अनुमानित किसानों की संख्या

वर्ष	वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं से लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या
2017-18	36	185088
2018-19	40	185739
2019-20	90	499826
2020-21	111	398996
2021-22	127	343394

अनुबंध-2

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना और प्रधान मंत्री ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान के बारे में दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3195 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 से बजटीय अनुमान (बीई) संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	घटक योजना	2019-20			2020-21			2021-22 (11.03.2022 के अनुसार)	
		बीई	आरई	एई	बीई	आरई	एई	बीई	एई
1	मेगा फूड पार्क	200.00	140.00	106.73	100.00	61.85	61.85	47.6	31.34
2	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना	48.75	50.14	43.83	65.00	56.69	48.46	37.5	34.25
3	एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम	290.00	326.16	271.12	349.71	252.58	207.40	227.6	176.26
4	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	160.00	202.52	171.78	190.00	219.30	202.8	162	147.49
5	बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिकेंज सृजन	40.00	50.46	42.92	100.00	56.60	54.41	51.7	26.46
6	ऑपरेशन ग्रीन्स	200.00	30.03	2.85	127.50	38.20	38.20	73.4	60.58
7	खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वसान	40.00	40.00	26.99	44	36.83	29.00	45.2	32.10
8	मानव संसाधन एवं संस्थान	94	32.07	21.76	84	23.05	18.20	44.8	8.36

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 से बजटीय अनुमान (बीई) संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई)

(करोड़ रुपए)

स्कीम	2020-21			2021-22 (11.03.2022 के अनुसार)	
	बीई	आरई	एई	बीई	एई
पीएमएफएमई	150.00	400.00	398.4	500	291.93